

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 951(19)(41)ले./नि.आ./बजट घोषणा/


आदेश

3992-4005 जयपुर, दिनांक: 29.11.2011

विषय:—सरपंचों का मानदेय का भुगतान निर्वन्ध राशि (पंचायती राज संस्थाओं हेतु) से करने बाबत।

विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 2811, दिनांक: 8.09.2011, एवं क्रमांक 3186 दिनांक 29.09.2011 के द्वारा मनरेगा के प्रशासनिक चार्जज मद से वहन की जा रही सरपंचों के मानदेय की राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत की निजी आय से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस के क्रमा. में जिन ग्राम पंचायतों की निजी आय नहीं है उन ग्राम पंचायतों के सरपंचों के मानदेय का भुगतान निर्वन्ध राशि योजना (Untied Fund for PRIs) से करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 101103620—एफ. डी./ई-5 दिनांक: 31.10.2011 द्वारा दी गयी सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियंता, (प्रो./टी.सी.), मुख्यालय।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. लेखाधिकारी/वरि.लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी
29.11.2011